निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 95 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के माह 01/2017 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर॰ के॰ सिन्हा एवं श्री संजीव कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री आलोक चौधरी लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12/12/2018 से 21/12/2018 तक श्री ऐ॰ के॰ जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर. एन. यादव , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 03/01/2017 से 13/01/2017 तक श्री वी. एस. पँवार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2015 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पिथौरागढ़ जिला, सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं रखरखाव ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	-	-	644.49	598.78	2700.89	2467.51	-	45.72	-	233.38
2016-17	-	-	628.11	619.91	1923.12	1798.89	-	8.2	-	124.24
2017-18	-	-	703.31	695.47	2565.10	2523.00	-	7.84	-	42.10
2018-19			755.29	635.00	2010.93	1489.84	-	120.29	-	520.16

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव,
2. प्रमुख अभियंता,
3. मुख्य अभियंता,
4. अधीक्षण अभियंता,
5. अधिशासी अभियंता,

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सैनीसेमी से जाटवपंत तक मोटर मार्ग एवं अशोकनगर सोनगाँव भाटीगाँव का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय लेखापरीक्षा के दौरान के आधार पर किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक 19/09/18 से 29/09/18 का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 03/2018 तक की गई।

7. फार्म-51: माह 10/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹ (-) 84609.68/-

भाग द्वितीय ₹ 1376195.02/-

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .....के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 2772653.38
(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --
(ग) नगद परिशोधन --शून्य--
(घ) निक्षेप ₹ 50709044
(ङ) भण्डार ₹ (-) 1806231

भाग-2 अ

प्रस्तरः-1 : रू0 126.52 लाख का व्ययाधिक्य ।

राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शहर के विभिन्न मार्गो में हॉटमिक्स कार्य हेतु रू0 1712.19 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान (मार्च 2013)की गयी थी। खण्ड द्वारा तैयार किये गये विस्तृत आगणन पर रू0 1712.19 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (कु0क्षे0) लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा प्रदान (जून 2013) की गयी थी। लेखा परीक्षा तिथि **को** कार्य **पूर्ण** था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 201**8**) में पाया गया कि खण्ड द्वारा कार्य से सम्बन्धित कार्य मद बिटुमिन्स मैकडम (बी0एम0) की सतह बिछाने से पूर्व कुल **202724**.16 वर्गमी0 में टैक कोट बिछाया गया था जिसके अनुसार 10136. 21 घनमी0[1] बी0एम0 की मात्रा का उपयोग कार्य पर होना था । मार्ग में अनड्यूलेशन दूर करने हेतु 5 प्रतिशत बी0एम0 की मात्रा का भी प्रावधान **कर कियान्वयन** किया गया इस प्रकार अनड्यूलेशन दूर करने हेतु 5 प्रतिशत (506.81cum) बी0एम0 **के प्रावधान सहित** मार्ग पर कुल 10**643.02** घनमी0 **बी ऍम का प्रयोग होना था** परंतु **खंड द्वारा अंतिम** देयक के अनुसार 12269.90 घनमी0 मात्रा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार टैक कोट की मात्रा **के सापेक्ष एवं** अनड्यूलेशन दूर करने हेतु **पांच** प्रतिशत[2] (506.81cum) के पश्चात् **1626.88** घनमी0 **(**12269.90**-**10**643.02)** बी0एम0 की अधिक मात्रा मूल्य ₹ 126.52 लाख (**1626.88 cum @7777.30=** ₹12652733/-) का प्रयोग किया गया जबकि मार्ग में अनड्यूलेशन दूर करने हेतु 5 प्रतिशत बी0एम0 की मात्रा का भी प्रावाधन **कर कियान्वयन** करने **के अतिरिक्त** खण्ड द्वारा **मार्ग पर** डब्लू0बी0एम0**/**जी-3 (727 घनमी0 **की तुलना में** 1926.47 घनमी0) का प्रयोग उसकी प्रावधानित मात्रा से बहुत अधिक मात्रा (164 प्रतिशत अधिक) में किया गया था । इस प्रकार खंड द्वारा मार्ग पर बिछाए गए टैक कोट की तुलना में प्रावधानित एवं निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में बी0 ऍम0 बिछा कर ₹ 126.00 लाख का व्ययाधिक्य किया गया ।

उपरोक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि :-

मार्ग पर अत्यधिक अनड्यूलेशन के कारण बी ऍम की मात्रा में वृद्धि हुयी । खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नही था क्योंकि खण्ड द्वारा विस्तृत आगणन में अनड्यूलेशन दूर करने हेतु मात्र पांच प्रतिशत अतिरिक्त बी0एम0 की मात्रा का प्रावधान किया गया था साथ ही बी ऍम बिछाने से पूर्व बिछायी गयी डब्लू0बी0एम0 जी-3 **की मात्रा भी** उसकी प्रावधानित मात्रा से बहुत अधिक मात्रा (164 प्रतिशत अधिक)में बिछाई गयी थी अतः अनड्यूलेशन पर अधिक बी

---

[1] Tack coat area **202724**.16 × .050 मीटर BM= 10136.21 cum

[2] taking five percent extra for undulation= 10136.21 cum x 5 percent =506.81

ऍम प्रयोग होना संबंधी उत्तर तर्कसंगत नहीं है । इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा अनड्यूलेशन दूर करने हेतु डब्लू0बी0एम0 जी-3 का उपयोग किया जाना था ना की बी ऍम का । इस प्रकार कार्य पर बी0एम0 की मात्रा के अधिक प्रयोग के फलस्वरूप **126.52 लाख** अधिक व्यय **हुआ जिससे** बचा जा सकता था।

अतः ₹**126.52 लाख** लाख के व्ययाधिक्य का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर:1- ₹ 16.94 लाख के अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना एवं वित्तीय नियमों के विपरीत बगैर LAND CLEARANCE के कारण रु. 1.64 करोड़ व्यय के बाद भी अनुबंध का पूर्ण नहीं होना |

As per the rule 378 of Financial Handbook Volume – VI, no work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers.

Clause 4.5of GPW-9 if the whole work upto the fourth milestone is not completed within the scheduled of rescheduled time, all the withheld amount of 10% shall be recovered from the contractor.

Clause 7 of GPW- The time allowed for execution of work as specified in the schedule "A" or the extended time in accordance with these condition shall be the essence of the contract. The execution of the work shall commence form such time period mentioned in schedule. If the contractor shall desire an extension of the time for completion of the work on the ground of his having been unavoidably hindered in its execution, or any other ground he shall apply in writing to the officer accepting the contract on behalf of the Government through the Engineer-in-Charge and a copy thereof is sent to Engineer-in-Charge within 30 days of the hindrance on account of which he desires such extension as aforesaid.

As per PCC and GCC 46.1- The liquidated damages for the whole of the works are (1/2000)th of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand, per day.

The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के अभिलेख की नमूना लेखा–परीक्षा जांच में पाया गया कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कुण्डीखोला नाला निकट बस स्टैण्ड से डाट के पुल तक नाले के ऊपर सी0सी0 मार्ग के निर्माण कार्य (लम्बाई 0.750 कि0मी0 हेतु लागत रू0 702.75 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 1169/।।।(2)/14–52 (प्रा0आ0) 2013 दिनांक 26.02.2014 द्वारा प्राप्त थी। अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रांक कैम्प–2/अल्मोड़ा दिनांक 13.01.2015 से प्राप्त कार्य के आगणन पर उनकी संस्तुति के आधार पर लम्बाई 0.700 कि0मी0 हेतु रू0 702.75 लाख की प्राविधिक स्वीकृति के साथ सैद्वान्तिक रूप से कार्य प्रारम्भ करने हेतु मुख्य अभियनता, स्तर–2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा पत्रांक 243/1125 याता0–कु0/ 2014 दिनांक 13.01.2015 के माध्यम से प्रदान की गयी थी क्योंकि कार्य की डी0पी0आर0 शासन से स्वीकृत थी एवं प्राविधिक स्वीकृति हेतु प्रेषित आगणन में उसी के अनुसार प्राविधान किये गये थे। उपरोक्त कार्य के क्रम में राज्य योजना के अन्तर्गत कुण्डीखोला नाला निकट बस स्टेशन से डाटपुल तक सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.200 कि0मी0) हेतु अनुबन्ध सं0 15/एएस0ई0 3rd Circle दिनांक 19.12.2015, मै0 सोर वैली कस्ट्रक्शन के नामे अनुबन्ध लागत रू0 16942459.37 हेतु गठित किया गया। कार्य आरम्भ की तिथि दिनांक 19.12.2015 व कार्य पूर्ण होने की तिथि 18.06.2017 थी, परन्तु

लेखापरीक्षा तिथि (11/2018) तक नवें रनिंग बिल (अद्यतन) के माध्यम से रू0 16412084.00 के भुगतान के पश्चात् कार्य पूर्ण नहीं हुआ। प्रश्नगत कार्य के एक हिस्से का जो अनुबन्ध गठित (सं0 15/एस0ई0 3rd circle) किया जो दिनांक 18.06.2017 को पूर्ण करना था। संबंधित ठेकेदार को रू0 1.64 crore के भुगतान के पश्चात् भी आतिथि तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ जबकि उसे 13 अगस्त 2018 तक की समयवृद्वि दी गयी थी परन्तु स्वीकृत समयवृद्वि के 04 माह बाद भी एस0बी0डी0 की शर्तो के अनुसार 10% of 1.64 crore (अनुबन्ध लागत) का अर्थदण्ड नहीं लगाया गया FHB-vol-VI के नियम 378 के विपरीत Land clearance के बगैर अनुबन्ध गठित किया गया । अवशेष कार्य (0.500 कि0मी0 लम्बाई) प्राविधिक स्वीकृति के 03 वर्ष 11 माह व प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के 04 वर्ष 10 माह बाद भी प्रारम्भ नहीं होने के कारण कार्य के एक हिस्से पर रू0 1.64 crore का व्यय निष्प्रयोज्य व्यय साबित हुआ।

उक्त लेखापरीक्षा बिन्दु के उत्तर में खंड ने बताया कि नाले में अत्यधिक कूड़ा–करकट एव ंकपड़े बहकर आने के कारण कार्य करने में विलम्ब हो रहा है तथा भवन स्वामियों द्वारा भी नाली निर्माण में विरोध किया जाता रहा, जिसके कारण कार्य प्रभावित रहा। नाले किनारे निवासरत निवासियों द्वारा कार्य निर्माण के दौरान ही विरोध किया गया। 200 मी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही आगे का शेष कार्य किया जाना सम्भव होगा। उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध पूर्ण होने के पश्चात् शेष भाग के कार्य की निविदा आमंत्रित कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि ठेकेदार को 13 अगस्त 2018 तक की समयवृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु स्वीकृत थी। परंतु समयवृद्धि के 4 माह बाद कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर उपरोक्त SBD के शर्तों के अनुसार रु. ₹16.9[3] लाख का अर्थदण्ड लेखापरीक्षा तिथि (दिसम्बर 2018) तक अधिरोपित नहीं की गयी है। साथ ही विभाग ने उपरोक्त वित्तीय नियमों के विपरीत बगैर स्पष्ट स्थल के अनुबंध गठित किया गया जिसके कारण रु0 1.64 करोड़ व्यय करने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

अतः ₹ 16.94 लाख के अर्थदण्ड की वसूली न किए जाने एवं रु0 1.64 करोड़ व्यय के बाद भी कार्य का पूर्ण नहीं होने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है|

[3]अनुबंध लागत ₹1,69,42,459.37का 10%

भाग-II (ब)

प्रस्तर :-2 कार्य देरी से संपादित किए जाने के कारण वय्याधिक्य ` 44.16 लाख ।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 811/ **III (2) / 14-50** (प्रा0आ0) / **2013** दिनांक **08** फ़रवरी 2014 के द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा पिथौरागढ़ के के अंतर्गत विभिन्न मार्गो के चौड़ीकरण के पश्चात अतिरिक्त भाग में हॉट-मिक्स एवं पक्की नालियो के निर्माण कार्य हेतु `**535.94** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा कार्य सम्पादन के लिए `**535.94** लाख की प्राविधिक स्वीकृति मार्च 2014 में प्रदान की गयी थी।

प्रतिवेदनानुसार इस स्वीकृति के पूर्व पिथौरागढ़ शहर के आंतरिक मार्गो में हॉट-मिक्स कार्यो हेतु शासनादेश दिनांक 14 मार्च 2013 के द्वारा `**1712.19** लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी और इसके लिए `**1712.19** लाख की प्राविधिक स्वीकृति जून 2013 में मुख्य अभियंता, कुमायूं क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा प्रदान की गयी थी। फ़रवरी 2013 में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा आदेश दिया गया था कि मार्ग के दोनों किनारो से अतिक्रमण को हटाते हुए **edge to edge** तक हॉट-मिक्स किया जाए और पानी के निकासी हेतु नाली का निर्माण किया जाए। प्रतिवेदन जिसके आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी उसमे अतिरिक्त चौड़ाई वाले भाग में सीलिंग कोट, इंटर कोट एवं टॉप कोट के कार्य के साथ बीएम एवं एसडीबीसी का कार्य किया जाना था।

कार्य सम्पादन के लिए 14 अनुबंधी का गठन अगस्त 2013 से मार्च 2016 के मध्य किया गया था जिसमे 01 अनुबंध हॉट-मिक्स के द्वारा सड़क निर्माण (अनुबंध संख्या:- 21/**SE-3rd** दिनांक 17 मार्च 2016) तथा शेष 12 अनुबंध **retaining wall,** नाली तथा **G-1, G-2** एवं **G-3** से संबन्धित थी। इस अनुबंध के अन्तिम देयक के अनुसार ` 283.98 लाख की राशि व्यय हो चुकी थी ।

अभिलेखो के जांच में ज्ञात हुआ कि अनुबंध संख्या:- 21/**SE-3rd** दिनांक 17 मार्च 2016, जिसके द्वारा हॉट-मिक्स के कार्य कराये गए थे, के लिए अनुबंध का गठन **justification** के आधार पर **Revised Schedule-**बी जिसमे ठेकेदार की भी परामर्श थी, के दर पर किया गया था। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि **justified rate,** जो कि मई 2015 के **SOR** (जैसा संचिका से विदित होता है) पर थी, प्रतिपादित करने का कारण मूलरूप से प्राविधिक स्वीकृति (मार्च 2014) के दो वर्ष

(मार्च 2016) पश्चात अनुबंध का गठन किया जाना था जबकि आगणन मई 2013 के **SOR** पर तैयार किया गया था। इस विलंब के कारण अनुबंध का गठन अधिक दर पर किया गया था जिसके कारण `**44.16** लाख का अधिक व्यय हुआ था जिसका विवरण निम्नवत है।

(राशि ` में)

मद	**मात्रा**		**आगणन में दर (` में)**	**अनुबंध में दर (` में)**	**अंतर**	**आधिक्य**
	माप	**इकाई**				
WBM-I	254.9	cum	1363.20	1800.00	436.80	111340.32
WBM-II	233.93	cum	1449.40	1900.00	450.60	105408.86
WBM-III	232.58	cum	1511.70	2000.00	488.30	113568.81
BM	1604.72	cum	8222.40	9900.00	1677.60	2692078.27
SDBC	829.42	cum	10320.00	12000.00	1680.00	1393425.60
Total						**4415821.86**

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य की मूल स्वीकृति पिथौरागढ़ शहर के आंतरिक मार्गो में हॉट-मिक्स कार्य स्वीकृत लागत `**1712.19** लाख स्वीकृत थी। यह कार्य अतिरिक्त भाग में (मूल स्वीकृत कार्य के शेष चौड़ाई में, जो कि 01-02 मीटर के चौड़ाई में होना था) में अलग-अलग अनुबन्धो के अंतर्गत किया जाना संभव नहीं था। पिथौरागढ़ शहर के अंतर्गत चौडीकरण के पश्चात अतिरिक्त भाग में हॉट-मिक्स एवं पक्की नाली का निर्माण कार्य पूर्व में स्वीकृत मूल कार्य के पूर्ण किए बिना किया जाना संभव नहीं था जिस कारण इस कार्य में हॉट-मिक्स के कार्य का अनुबंध पूर्व में स्वीकृत मूल कार्य के समाप्ति के पश्चात बनाया गया था। पुनः यह भी बताया गया कि कार्य पर आवश्यकतानुसार **Item of work** की मात्राओ में वृद्धि हुई जिस कारण से व्यय में वृद्धि हुई थी।

खंड का उत्तर तथ्यों से परे है क्योंकि इस वित्तीय स्वीकृति के अंतर्गत सात अनुबंध का गठन केवल नाली के निर्माण के लिए किया गया था और नाली के निर्माण का कार्य जून 2013 से फ़रवरी 2014 के मध्य पूर्ण कर लिया गया था। इस प्रकार, यह कहना कि "***अतिरिक्त भाग में हॉट-मिक्स एवं पक्की नाली का निर्माण कार्य पूर्व में स्वीकृत मूल कार्य के पूर्ण किए बिना किया जाना संभव नहीं था जिस कारण इस कार्य में हॉट-मिक्स के कार्य का अनुबंध पूर्व में स्वीकृत मूल कार्य के समाप्ति के पश्चात बनाया गया था"*** बिलकुल तर्कहीन है।

भाग–2 ब

प्रस्तरः–3 एकल निविदा के सापेक्ष ठेका देकर ₹ 49.30 लाख का परिहार्य व्यय एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ₹ 3.74 लाख ब्याज की वसूली ना किया जाना एवं कार्य समय पर न पूर्ण करने के कारण ठेकेदार पर नियमानुसार अर्थदण्ड ना लगाया जाना ।

जनपद पिथौरागढ़ के नैनी–सैनी से जाखपन्त तक मोटर मार्ग में हाटमिक्स के कार्य हेतु रू0 885.80 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। (02/2014)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, **अल्मोड़ा** द्वारा **समान** धनराशि की प्रदान की गयी थी(01/2015)। साथ ही अशोक नगर सौनगांव–भांटी गांव मोटर मार्ग में हाटमिक्स कार्य की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति रू0 481.16 लाख की प्रदान की गयी थी (02/2014)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, **अल्मोड़ा** द्वारा **समान** धनराशि की प्रदान की गयी थी। दोनों कार्य हेतु संयुक्त रूप से निविदायें आमंत्रित की गयी थी (16.01.2015)। दोनों कार्य हेतु संयुक्त रूप से एक ही अनुबन्ध 18/एस0ई0–II /20/14–15 दिनांक 16.02.2015 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 16.02.2015 एवं 15.08.2016 थी। लेखा परीक्षा तिथि तक कार्य प्रगति पर था।

अधिशासी अभियन्ता, **प्रांतीय खंड,** लोक निर्माण विभाग, **पिथौरागढ़** के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्य हेतु प्राप्त एकल निविदा **के सापेक्ष** ठेका दिया गया था, जो आगणित धनराशि से रू0 49.30 लाख अधिक था। इस प्रकार खण्ड द्वारा दोबारा निविदा आमंत्रित न कर Single Price Bid के सापेक्ष ठेका देकर रू0 49.30 लाख का अपरिहार्य व्यय किया गया था।

आगे जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा ठेकेदार को मोबिलाईजेशन एडवान्स दिया गया था, जिस पर खण्ड द्वारा ठेकेदार पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया गया था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार से **अग्रिम पर** ब्याज रू0 3.74 लाख **कम (सलंग्न विवरण के अनुसार)** वसूल किया गया था।

आगे जांच में यह भी पाया गया कि अनुबन्ध में संलग्न G.P.W.-9 की शर्तो के अनुसार **निर्धारित** Milestone के अनुसार कार्य की प्रगति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण कोई भी धनराशि ठेकेदार के बिलों से रोकी नहीं गयी थी, ना **ही** कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण **नियमानुसार** 10 प्रतिशत (अधिकतम) अर्थदण्ड लगाया गया था। इसके साथ ही कार्य

अनुबन्धानुसार समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद **लेखापरीक्षा तिथि तक** 2 वर्ष 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अपूर्ण था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए एवं कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु एकल निविदा पर विचार किया गया। **खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्य कराने की इतनी जल्दी थी तो वर्तमान में** कार्य अनुबन्धानुसार समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद **लेखापरीक्षा तिथि तक** 2 वर्ष 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण **क्यों** था। मोबिलाईजेशन एडवान्स **पर ब्याज की कम कटौती के सम्बन्ध में बताया गया कि ठेकेदार से अगले देयक से अवशेष ब्याज की कटौती कर ली जाएगी ।** ठेकेदार के बिलों से धनराशि **नहीं** रोकी **जाने** एवं कार्य समय पर न पूर्ण करने के कारण 10 प्रतिशत (अधिकतम) अर्थदण्ड **ना लगाने के सम्बन्ध में बताया की** ठेकेदार **पर** कार्य समय पर न पूर्ण करने के कारण से ठेकेदार के **देयक** से धनराशि रोकी **गयी थी तथा पूर्व में स्वीकृत समयावृधि सापेक्ष ₹ 1170273/- की कटौती की गयी थी । इस सम्बन्ध में खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि** कार्य अनुबन्धानुसार समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद **लेखापरीक्षा तिथि तक** 2 वर्ष 5 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण था **अतः** G.P.W.-9 की शर्तो के अनुसार 10 प्रतिशत (अधिकतम) अर्थदण्ड **लगाना चाहिए था साथ ही** ठेकेदार के **देयक** से धनराशि **रोकने के सन्दर्भ में** खण्ड द्वारा **कोई साक्ष्य नहीं दिया गया ।**

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

Mobilization Advance given on 06/05/2015	**` 5926843/-**
Recovered on 10/07/2015	**` 1774000/-**
Intrest form 06/05/15 to 10/07/15 = 66 days @ 18 percent	**` 192906/-**
Balance M.A. on 11/07/15	**` 4152843/-**
Recover on 05/03/16	**` 16,00,000/-**
Interest from 11/07/15 to 05/03/16 = 7 month 26 days	**` 489295/-**
Balance M.A. on 06/03/2016	**` 2552843/-**
Recover on 06/01/2017	**` 2552843/-**
Interest from 06/03/2016 to 06/01/2017= 10 months 2 days	**` 380198/-**
Total interest calculated = A+B+C =	**` 1062399/-**
Interest recovered by Division	**` 687891/-**
Interest to be recovered	**` 374508/-**

<u>भाग - 03</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
35/89-90	-	2
06/90-91	-	1
30/91-92	-	1, 2
60/95-96	-	1
66/96-97	-	1, 3
30/2000-01	-	1
20/2001-02	-	1, 2
39/2002-03	-	1, 2, 4
46/2008-09	-	1, 2
22/2011-12	-	-
27/2012-13	1, 2, 3, 4, 5	-
60/2014-15	1	1, 3, 4
96/2015-16	1, 2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

खण्ड ने उत्तर में बताया कि विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों से संस्तुत कराकर महालेखाकार लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी । अत: उक्त प्रस्तर यथावत रखे जा सकते है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः .....**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	अवधि
1.	श्री नवीन चन्द जोशी	01/01/17 से 22/08/17 तक।
2.	श्री मूल चन्द गुप्ता	23/08/17 से 12/09/17 तक।
3.	श्री नवीन चन्द जोशी	13/09/17 से 08/10/18 तक।
4.	श्री देवेन्द्र सिंह बोहरा	09/10/18 से 24/10/18 तक ।
5.	श्री नवीन चन्द जोशी	25/10/18 से अब तक ।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

1.	श्री शम्भु कुमार	01/2017 से 07/2018 तक ।
2.	श्री शिवेन्द्र सिंह	07/2018 से अब तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II